5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. / निगरानी / /अध्यक्ष / 2016 निग -3636 - PBR-16

दिनांक 19.10.16 को
श्री विवेक श्रीवास्तव
अभि० द्वारा प्रस्तुत
19.10.16

326
19.10.16

सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा सचिव उमेश अरोरा पुत्र श्री रामदेव अरोरा निवासी आदर्श कॉलोनी शिन्दे की छावनी लश्कर ग्वालियर म0प्र0 .....प्रार्थी

बनाम

1. सिहं ड्रिग्स एसोसियेटस् प्रायवेट लिमिटे द्वारा डायरेक्टर अनुरागसिंह परमार निवासी होटल सेंट्रल पार्क के सामने सिटी सेन्टर ग्वालियर म0प्र0
2. श्रीमती भागचन्दानी पत्नी श्री राजकुमार भागचन्दानी निवासी भारतीयम स्कूल शिवपुरी लिंकरोड ग्वालियर म0प्र0
3. हिमाचल सिंह पुत्र श्री विजयसिंह निवासी जवाहर कॉलोनी कम्पू लश्कर ग्वालियर म0प्र0
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण 1 रविनगर ग्वालियर
5. कलाबाई बेवा चन्द्रभान
6. लक्ष्मण
7. सुरेश
8. नंदकिशोर
9. छोटूनावा पुत्र श्री चन्द्रभान
10. रघुवीर सिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह
11. प्रमोद पुत्र एरोगनसिंह
12. रंजीतसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह
13. श्रीमती शीलाबाई नाबा पुत्र बाबूलाल सरपररस्प बहन शांतिबाई
14. श्रीमती मीरा नावा पुत्री बाबूलाल सरपरस्त बहन शांतिबाई
15. राधा नाबा0पुत्री बाबूलाल सरपरस्त बहन शांतिबाई
16. सोना नाबा0 पुत्री बाबूलाल सरपरस्त बहन शांतिबाई

कमश...........2

17. पहवानसिंह नाबा पुत्र श्रीबाबूलाल सरपरस्त बहन शांतिबाई
18. परमो नाबा0पुत्री बाबूलाल सरपरस्त शांतिबाई
19 अंजना नाबा0पुत्री जाहरसिंह सरपरस्त शांतिबाई
20 नारायण नाबा0पुत्र जाहरसिंह सरपरसत शांतिबाई
21. वेदवती पत्नी रघुनाथ
22 श्रीमती पुनिया बेवा जनवेद
23 पंचम नाबा0पुत्र श्री बाबूलाल सरपरस्ती बहन शांतिबाई समस्त निवासीगण लक्कड़खाना लश्कर ग्वालियर म0प्र0 ....प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अधीक्षक भू–अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 08 / 2016X19 / 11 में पारित आदेश दिनांकी 30/01/2016 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3636-पीबीआर/2016 — जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-18	आवेदक अधिवक्ता द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 08/2016X19/11 में पारित आदेश दि. 30-1-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि म.प्र.भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार सीमांकन कार्यवाही में चौमडिया कृषकों को व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है जबकि उक्त प्रकरण में आवेदकगण जो कि सर्वे नं. 336 के अभिलिखित भूमिस्वामी होकर चौमडिया कृषक थे, उनको विधिवत् सूचना पत्र दिये बगैर सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होने से तथा उक्त आदेश एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । 4- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकपक्ष को नोटिस तामील नहीं कराया गया है, जबकि आवेदकपक्ष प्रभावित है तथा पड़ोसी कृषक है । प्रश्नाधीन भूमि का टी.एस.एम. मशीन से सीमांकन किया जाना बताया है, लेकिन फील्डबुक/नक्शा Manual लगाये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन विधिवत् नहीं है। इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को उभयपक्ष को सूचना दी जाकर पुन: सीमांकन किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये। 5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-1-2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सूचना दी जाकर पुन: सीमांकन किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है । अध्यक्ष	